

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-1

कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

बुधवार, 8 सितम्बर, 1999/भाद्रपद 17, 1921 शक

संख्या-18

अप. 2.00 बजे

राष्ट्रीय गीत-"वन्दे मातरम्"

अप. 2.03 बजे

2. शोक संवेदना प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष ने सदन की ओर से निम्नलिखित के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की :-

क॥ भारतीय सेना एवं वायु सेना के अधिकारियों एवं जवानों के प्रति, जिन्होंने कारगिल ऑपरेशन में मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी ।

ख॥ लाल कुआँ हौज काजी क्षेत्र में हुई अग्नि दुर्घटना के मृतकों के प्रति ।

ग॥ गोगा पीर टेम्पल, राजस्थान की यात्रा से लौट रहे अम्बेडकर नगर, दिल्ली के श्रद्धालुओं की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के प्रति

घ॥ श्री बी.डी.जोशी, भूतपूर्व महानगर पार्षद, दूसरी महानगर परिषद्

ड॥ स.सुलक्षन सिंह, पूर्व महानगर पार्षद, चतुर्थ महानगर परिषद्

सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में दो मिनट का मौन भी धारण किया ।

अप. 2.10 बजे

3. सदन में शोर-शराबा

डा. जगदीश मुखी, नेता, भारतीय जनता पार्टी विधायी दल ने समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार का मामला उठाया जिसमें एक राजनैतिक दल के नेता द्वारा प्रधान मंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है । दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो जाने से शोर-शराबा बढ़ जाने के कारण माननीय अध्यक्ष को सदन को स्थगित करने के लिये बाध्य होना पड़ा ।

सदन जब पुनः समवेत हुआ और विरोधी पक्ष के सदस्य उस विषय पर चर्चा करने की मांग करने लगे तो अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि वे इसको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह मामला प्रत्यक्ष रूप से विधान सभा से संबंधित नहीं है तथा संबंधित नेताओं में से कोई भी इस सदन के सदस्य नहीं है ।

अप. 2.58 बजे

#### 4. सदस्यों का निलम्बन

चूंकि, विरोधी पक्ष के सदस्य श्री साहब सिंह चौहान के नेतृत्व में लगातार नारेबाजी करते रहे, अतः अध्यक्ष महोदय ने श्री चौहान को सदन से बाहर जाने के लिये कहा ।

तथापि, निलम्बित सदस्य अपनी पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ लगातार नारे-बाजी करते रहे । <sup>चूंकि,</sup> अध्यक्ष महोदय द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेता से सदन में व्यवस्था बनाये रखने का बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी सदन में अव्यवस्था बनी रही, अतः डा. ए. के. वालिया, स्वास्थ्य मंत्री ने खड़े होकर मांग की कि सदस्यों को निलम्बित करने के अलावा अब अन्य कोई रास्ता नहीं है । उन्होंने प्रस्ताव किया कि भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों को एक दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाये । प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया । अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों को एक दिन के लिये निलम्बित किया जाता है ।

#### 5. ताराकित प्रश्न

ताराकित प्रश्न संख्या-1 से 20 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये ।

#### 6. अताराकित प्रश्न

अताराकित प्रश्न संख्या- 1 से 16 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये ।

**अप. 3.10 बजे 7. मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य**

चूंकि अव्यवस्थित दृश्यों के कारण पूरा प्रश्नकाल खराब हो गया, श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्य मंत्री ने विरोधी दल के सदस्यों के उच्छृंखलतापूर्ण व्यवहार पर अपनी भावनाएं व्यक्त की और सलाह दी कि चूंकि चुनाव प्रक्रिया चल रही है, अतः सदस्यों को चुनावों में फायदा पाने के उद्देश्य से एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप व दोषारोपण करने से बचना चाहिये।

**3.25 बजे 8. विशेष उल्लेख**

निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 287 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये :-

1. श्री अरविन्दर सिंह लवली
2. श्री मुकेश शर्मा  
    § स्वास्थ्य मंत्री ने मामले में हस्तक्षेप किया §
3. श्री रूप चन्द
4. श्री वीर सिंह
5. श्रीमती किरन चौधरी

श्री रमा कान्त गोस्वामी एवं श्री शोएब इकबाल को भी कारागिरि मामले में एवं दिल्ली से मातृभूमि के लिये शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि देने हेतु बोलने की अनुमति दी गई, उन्होंने मांग की कि उनके परिवार का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाये। मुख्य मंत्री ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए सदन को सूचित किया कि दिल्ली सरकार द्वारा कारागिरि में शहीद हुए जवानों के परिवारों के प्रति पूरे कल्याणकारी कदम उठाये जा रहे हैं।

**3.55 बजे 9. कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण**

श्री मंगत राम सिंघल ने कार्य मंत्रणा समिति का दूसरा प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया।

10. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

श्री मंगत राम सिंघल ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया।



## विधायी प्रस्ताव

### विधेयकों का पुरःस्थापन

3.57 बजे 11.

श्री महेन्द्र सिंह साथी, वित्त मंत्री ने सदन की अनुमति मिलने के बाद निर्माण सौविदा पर दिल्ली बिक्री कर विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित किया ।

12.

डा. नरेन्द्र नाथ, शिक्षा मंत्री ने सदन की अनुमति मिलने के बाद इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित किया ।

### विधेयक पर विचार एवं पारित करना

3.58 बजे 13.

श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्य मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ते, पेंशन आदि संशोधन विधेयक, 1999 का विधेयक संख्या-4 पर विचार करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया और प्रस्ताव को सदन द्वारा स्वीकार करने के बाद विधेयक को खण्डवार विचार के लिये लिया गया ।

खण्ड-2 मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक भी मतदान के लिये रखे गये और स्वीकार किये गये ।

श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि विधेयक को पारित किया जाये ।

विधेयक को मतदान के लिये रखा गया और सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

4.02 बजे

चूंकि वृद्धों एवं विधवाओं को पेंशन के संबंध में डा. जगदीश मुखी एवं अन्य द्वारा दी गई अल्पकालिक चर्चा सूचीबद्ध थी, लेकिन निलंबन के कारण ये सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे, अतः सदन वृहस्पतिवार, अपराह्न 2.00 बजे तक के लिये स्थगित कर दिया गया ।

दिल्ली,

8 सितम्बर, 1999

एस.के.शर्मा  
सचिव

BULLETIN PART-I

(BRIEF RECORD OF PROCEEDINGS OF HOUSE)

WEDNESDAY, 8th SEPTEMBER, 1999/BHADRAPAD 17, 1921 (SAKA)

No.18

2.00 PM 1. National Song (Vande Mataram).

2.03 PM 2. Obituary references

Hon'ble Speaker on behalf of the House made obituary references on the following :-

a) The Officers and Jawans of the Indian Army and Air force who laid down their lives in Kargil Operation while defending the motherland.

b) Victims of fire tragedy at Lal Kuan (Hauz Kuazi).

c) Devotees of Ambedkar Nagar, Delhi who lost their lives in a road accident while returning from a pilgrimage of Goga Peer Temple in Rajasthan.

d) Shri B.D. Joshi, Ex-Metropolitan Councillor of 2nd Metropolitan council.

e) Sh. Sulakhan Singh, Ex- Metropolitan Councillor of 4th Metropolitan Council.

Members also observed two minutes silence as a mark of respect to the memory of departed souls.

2.10 PM 3. PANDEMONIUM IN THE HOUSE

Dr. Jagdish Mukhi, Leader, BJP Legislature Party referring to a news item raised the issue regarding use of objectionable utterances by a Leader of a Political Party against the Prime Minister. Pandemonium prevailed in the House resulting in slogan shouting from both the sides and amidst disorder the Chair was constrained to adjourn the House.

When the House re-assembled and the opposition members demanded discussion on the subject the Chair ruled that the same could not be permitted as the matter did not directly pertain to the Assembly and none of the concerned leaders were members of the House.

2.58 PM

4. SUSPENSION OF MEMBERS

As the Opposition members led by Shri Sahab Singh Chauhan continued to shout slogans the Chair asked Shri Chauhan to withdraw from the House.

the suspended member however, continued to shout slogans which was responded to by the other members of his party. As the Chair's appeal to the Leader of the BJP Party to help maintain order remained unresponded Dr. A.K. Walia, Health Minister stood up to demand that there was no other way out but to suspend the members. He then moved a Motion that all the BJP members be suspended from the House for one day. The Motion was put to vote and was carried. The Chair announced that all the BJP members stood suspended for one day.

5. Starred Questions : Replies to Starred Questions 1-20 were laid on the Table of the House.

6. Unstarred Questions  
Replies to unstarred questions 1-16 were laid on the Table of the House.

3.10 PM

7. Statement by Chief Minister

As the entire question hours was washed out in disorderly scenes, Smt. Sheila Dikshit, Hon'ble Chief Minister expressed concern at the unruly behaviour of the Opposition members should refrain from scoring points by hurling allegations and accusations at each other.

Cont...3/-



3.25 PM 8. Special Mentions

The following Members raised matters under Rule 287 :-

- a) Shri Arvinder Singh Lovely
- b) Shri Mukesh Sharma  
(Minister of Health intervened in the matter)
- c) Shri Roop Chand
- d) Shri Veer Singh
- e) Smt. Kiran Chaudhry

Shri Ramakant Goswami and Shri Shoaib Iqbal were also permitted to speak on the Kargil issue and the sacrifices made by the martyrs from Delhi and demanded better care for their families. Chief Minister intervened and informed the House of the welfare measures taken by the Delhi Govt. for the families of victims of Kargil Operations.

3.55 PM 9. Presentation of the Report of Business Advisory Committee

Shri Mangat Ram Singhal presented the Second report of the Business Advisory Committee to the House.

10. Presentation of the Report of the Committee on Private Members Bills and Resolutions

Shri Mangat Ram Singhal presented the Third Report of the Committee on Private Members Bills and Resolutions.

LEGISLATIVE PROPOSALSIntroduction of Bills

- 3.57 PM 11. Shri Mohinder Singh Saathi, Minister of Finance introduced "The Delhi Sales Tax on Works Contract Bill, 1999" after leave was granted by the House.

12. Shri Narendra Nath, Minister of Education introduced "The Indraprastha University (Second Amendment) Bill, 1999" after leave was granted by the House.

Consideration and Passing of Bill

- 3.58 PM 13. Smt. Shiela Dikshit, Chief Minister moving for consideration of "The Members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salary, Allowances, Pensions etc.) Bill, 1999 (Bill No.4/99) and the motion having been adopted by the House, was taken up for consideration clausewise.

Clause 2 was put to vote and adopted.

Clause 1, Preamble and Short Title were also put to vote and adopted.

The Bill was put to vote and adopted unanimously.

- 4.02 PM (As the Short Duration Discussion regarding Old Age Pension and Widow pension was listed in the name of Dr. Jagdish Mukhi & others who were not present in the House due to suspension, the House was adjourned till 2.00 p.m. on Thursday, the September 09, 1999).

DELHI  
Dated : 8th September, 1999

S. K. SHARMA  
Secretary